UPBJ180013812021

न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) नगीना, बिजनौर।

मूलवाद सं0 368/2021

रणधीर सिंह आदि बनाम श्रीमती लक्ष्मी देवी आदि

18–03–2023

पत्रावली आदेशार्थ प्रस्तुत हुई। प्रार्थना–पत्र कागज सं0 ग–16 व क–14 पर आपत्ति ग–18 के परिप्रेक्ष्य में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना जा चुका है।

निस्तारण प्रार्थना–पत्र कागज सं0 ग–16

प्रार्थना–पत्र कागज सं0 ग–16 अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट मय शपथ–पत्र ग–17 वादी की ओर से संशोधन प्रार्थना–पत्र को प्रस्तुत करने में कारित विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु दिया गया है तथा कथन किया गया है कि वादीगण ग्रामीण व्यक्ति हैं कानून की जानकारी नहीं है तथा कोरोना की वजह से वे अपने अधिवक्ता महोदय से नहीं मिल पाये और दिनांक 01–09–2022 को अपने अधिवक्ता से मिले तो उनके बताने पर संशोधन प्रार्थना–पत्र गुजारने का इल्म हुआ। वादीगण ने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है। जो देरी हुई है वह कानून की जानकारी न होने के कारण हुई है। प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र का विरोध किया गया परन्तु कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि वाद का निस्तारण उभयपक्ष को सुनवायी का पर्याप्त अवसर देकर गुणदोष के आधार पर किया जाना चाहिए । अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा प्रतिवादी की आपत्ति के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थना–पत्र कागज सं0 ग–16 न्यायहित में किन्तु हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना–पत्र कागज सं0 ग–16 अंकन 500/रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। आपत्ति तदनुसार निस्तारित की जाती है। प्रार्थना–पत्र कागज सं0 क–14 को प्रस्तुत करने में कारित विलम्ब को क्षमा किया जाता है।

सिविल जज(जू0डि0)
नगीना,बिजनौर।

निस्तारण प्रार्थना–पत्र कागज सं0 क–14

प्रार्थना–पत्र कागज सं0 क–14 मय शपथ–पत्र ग–15 वादी वादी की ओर से दौरान मुकदमा दिनांक 12–11–2021 को वादी सं.2 गुरनाम कौर का देहान्त हो जाने के कारण वादपत्र में संशोधन हेतु दिया गया है तथा कथन किया गया है कि मृतक गुरनाम कौर ने अपनी मृत्यु के बाद अपने 2 पुत्र रणधीर सिंह व कुलदीप सिंह छोड़े हैं जो उसके जायज वारिस हैं जो पहले से ही पक्षकार मुकदमा है। गुरनाम कौर के तीसरे पुत्र दिलबाग का देहान्त उपरोक्त वाद दायर करने से पहले ही हो गया है। प्रतिवादीगण की ओर से आपत्ति कागज सं0 ग–18 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थना–पत्र किस प्रोविजन में दिया गया है स्पष्ट नहीं किया गया है। प्रार्थना–पत्र टाईमबार्ड है । वादीगण ने अपने प्रार्थना–पत्र में देरी का कोई संतोषजनक कारण नहीं दर्शाया है।

प्रार्थना–पत्र के कथन शपथ–पत्र से समर्थित हैं। प्रतिवादीगण द्वारा वादनी के मृत्यु के तथ्य से इन्कार नहीं किया गया है न ही मृतक के किसी अन्य वारिसान होने के संबंध में कोई कथन किया गया है। याचित संशोधन औपचारिक प्रकृति का है। कारित विलम्ब धारा 5 परिसीमा अधिनियम का लाभ प्रदान कर क्षमा किया जा चुका है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रार्थना–पत्र कागज सं0 क–14 न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना–पत्र कागज सं0 क–14 न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। आपत्ति तदनुसार निस्तारित की जाती है। वादी प्रार्थना–पत्र के प्रकाश में वांछित संशोधन अन्दर सप्ताह करना सुनिश्चित करे। पत्रावली वास्ते अतिरिक्त प्रतिवाद–पत्र/निस्तारण प्रार्थना–पत्र कागज सं0 ग–20 दिनांक 27–04–2023 को पेश हो।

सिविल जज(जू0डि0)
नगीना,बिजनौर।